कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने रातानाडा,जोधपुर –342004
वेब साईट–jodhpur.jda.org phone no. 0291-2656357

क्रमांक – एफ–46 / आवंटन(जोन–4) / 2023 / 1702 दिनांक :– 27/01/2023

प्रोग्रामर (A.C.P.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

विषयः– ग्राम चौखा राजीव गॉधी आवासीय योजना सेक्टर सी में मिरासी एवं भिश्ती समाज हेतु छात्रावास बाबत्।

उपरोक्त विषयर्गन्त लेख है कि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स व परिशिष्ट –1 प्रस्तुत कर ग्राम चौखा राजीव गॉधी आवासीय योजना सेक्टर सी में मिरासी एवं भिश्ती समाज हेतु छात्रावास के लिए 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मॉंग की है।

नवीन आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उनकी योजना, गैर योजना क्षेत्रो एवं अन्यत्र स्थानों पर विभिन्न उदेश्यो हेतु आवंटन योग्य उपलब्ध विकसित और अविकसित भूमि को आवंटन करने से पूर्व चिन्हित कर विभागीय वेबसाइट पर न्यूनतम 15 दिवस के लिये अपलोड करने का प्रावधान है, ताकि उस पर आमजन टिप्पणी/ आपत्ति प्राप्त की जा सके।

अतः उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेश किये गये समस्त दस्तावेज पत्र के साथ सलंग्न कर प्राधिकरण की वेबसाइट पर न्यूनतम 15 दिवस के लिये अपलोड करें एवं अगर आमजन की टिप्पणी/ आपत्ति प्राप्त होती है तो संबंधित सूचना से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

उपायुक्त (जोन–4)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमो को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रपत्र –स

1. विभाग/संगठन का नाम उप-निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
2. प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) उप-निदेशक
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. 11 पाल रोड जोधपुर
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य निराश्रित समाज हेतु छात्रावास के नाम
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) ~~बीघा~~
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर मे) 5000 वर्ग मीटर
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बावत संक्षिप्त विवरण) राजकीय छात्रावास संचालन को निर्माणाधीन
8. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज:–
   - i. प्रोजेक्ट के बावत प्रशासनिक निर्णय की प्रति:–
   - ii. चाही गई भूमि बावत विभागीय मानक (Norms):–
   - iii. वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण:–
   - iv. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बावत मुख्य विवरण)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नही छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्तो की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तो की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : ....

स्थान : ....

उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जोधपुर
NEW D.D.O. CODE-7171

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम व पद अनिल व्यास
उप-निदेशक, सा०न्या०अ०वि०
जोधपुर

परिशिष्ट–'1'

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बावत निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि) राजीव गॉन्धी नगर सेक्टर सी	INFORMAL AREA
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	राजकीय
संस्था का गत तीन वर्षों का आय–व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	–
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जां रहे कार्यो का विवरण	राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन
चाही गई भूमि के उपयोग बावत् परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	मुख्यमंत्री बजट घोषणा अनुसार

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गो को व क्या लाभ मिलेगा।	बजट घोषणा अनुसार समाज को लाभ
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत् नोर्मस	1 बीघा 5000 वर्ग मीटर
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	नि:शुल्क
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साख संबंधी विवरण	
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यो के संबंध में विवरण	
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत् वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	
अन्य विवरण	

उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जोधपुर
NEW D.D.O. CODE-7171

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :– एफ 7(2)(42)रा.छा./सान्याअवि/22/16993-95 जयपुर, दिनांक: 07/9/2022

जिला कलक्टर
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं अलवर।

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 61 की अनुपालना मे छात्रावास भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 61 मे प्रदेश मे मिरासी समुदाय (मिरासी, ढाढी, मीर, मांगणियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान व इन्हे संबल प्रदान करने के लिये लगभग 20 करोड़ रूपये के कार्य हाथ मे लिये जायेगें। जिसकी पालना मे राजकीय अम्बेडकर मिरासी एवं भिश्ती समुदाय बालक महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं राजकीय अम्बेडकर मिरासी एवं भिश्ती समुदाय बालक छात्रावास अलवर क्षमता 50 छात्रावास भवन निर्माण करवाया जाना है।

प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्रांक 194 दिनांक 24.02.21 के द्वारा छात्रावास के भवन निर्माण हेतु नवीनतम दिशा निर्देश जारी किये गये है जो प्रमुख शासन सचिव, वित्त एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदित हैं। नवीनतम दिशा निर्देशो के अनुसार यथा संभव छात्रावास राजकीय विद्यालय/कॉलेज प्रांगण मे बनाए जाने चाहिए तथा इस प्रकार विद्यालय/कॉलेज प्रांगण मे निर्माण करने पर छात्रावास हेतु 2000 वर्ग मीटर की जमीन उपयुक्त होगी। साथ ही विद्यालय/कॉलेज प्रांगण के निर्माण मे बाउण्ड्री वॉल, खेल मैदान विकास सड़क इत्यादि हेतु पृथक से राशि की आवश्यकता नही होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त छात्रावासों के भवन निर्माण के लिये भूमि का आवंटन यथा संभव महाविद्यालय/विद्यालय परिसर के प्रांगण मे 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने या विद्यालय परिसर मे भूमि उपलब्ध नही हो तो संचालित शैक्षणिक संस्थानों के आस–पास उपयुक्त स्थान पर 5000 वर्ग मीटर भूमि का शीघ्र आवंटन कराने का श्रम करावे, ताकि बजट घोषणा के अनुसार स्वीकृत छात्रावासों का भवन निर्माण कार्य कराया जा सके।

(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेषक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, जोधपुर

(11 वी पालरोड सरदारपुरा, जोधपुर। फोन नबंर– 0201–2433473, ई–मेल–sjejodhpur@yhoo.com)

क्रमांक:– 4033 **दिनांक:–23.09.2022**

श्रीमान सचिव महोदय,
जोधपुर **विकास प्रधिकरण,**
जोधपुर ।

विषय :– **मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022–23 के बिन्दू सं. 61 की अनुपालना में छात्रावास भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने के संबंध में ।**

प्रसंग :– श्रीमान निदेषक एवं सं. शा. सचिव सा.न्या.अ.वि. जयपुर के पत्रांक 6993–95 / दि: 07.09. 2022 के कम में ।

महोदय जी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022–23 के बिन्दू सं. 61 की अनुपालना में जिले मिरासी एवं भिष्ती समुदाय के सामाजिक उत्थान हेतु राजकीय अम्बेडकर मिरासी एवं भिष्ती समुदाय बालक महाविद्यालय स्तरीय 50 छात्रों की क्षमता के छात्रावास भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने का श्रम करावें ।

सादर ।

संलग्न :– 1.भूमि आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र ।
2.प्रासंगिक पत्रांक की प्रति ।

जोधपुर विकास प्राधिकरण
क्रमांक
दिनांक 27/9/22
शाखा/जोन D.C- मुख्यालय
सचिव
★ जोधपुर ★

(अनिल व्यास)
उपनिदेषक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जोधपुर

क्रमांक:– 4034-35 दिनांक:–23.09.2022

प्रतिलिपि
1. श्रीमान निदेषक एवं संयुक्त शासन सचिव सा.न्या.अ.वि. जयपुर ।
2. श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर ।

उपनिदेषक